राष्ट्रीय वयोश्री योजना

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय **राष्ट्रीय वयोश्री योजना (RVY)** के तहत 895 वरिष्ठ नागरिक लाभार्थियों के बीच 4,800 दैनिक जीवन सहायता और सहायक उपकरण वितरित करेगा।

राष्ट्रीय वयोश्री योजना:

- **परिचय:**
  - इसे वर्ष 2017 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
  - यह वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष से वित्तपोषित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस फंड को वर्ष 2016 में अधिसूचित किया गया था।
    - छोटे बचत खातों, पीपीएफ और ईपीएफ से सभी दावा रहित राशियों को इस फंड में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
- **लक्ष्य:**
  - इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (BPL) की श्रेणी के उन वरिष्ठ नागरिकों को सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करना है जो क्षीण दृष्टि, श्रवण दोष, दाँतों की क्षति और चलने में व्यवधान आदि उम्र से संबंधित अक्षमता/असमर्थता से पीड़ित हैं।
    - पात्र लाभार्थियों को सहायक उपकरण, जैसे- चलने के लिये प्रयोग की जाने वाली छड़ी, कोहनी की बैसाखी, वॉकर/बैसाखी, ट्राइपॉड/क्वाड पॉड, श्रवण यंत्र, व्हीलचेयर, कृत्रिम दांत और चश्मा प्रदान किये जाते हैं।
    - वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ों के अनुसार, भारत में वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या 10.38 करोड़ है। वरिष्ठ नागरिकों की 70% से अधिक आबादी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है तथा एक बड़ा प्रतिशत (5.2%) वृद्धावस्था से संबंधित अक्षमता से ग्रसित है।
- **कार्यान्वयन:**
  - यह योजना **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय** के तहत **कृत्रिम अंग निर्माण निगम (ALIMCO),** एक **सार्वजनिक उपक्रम (Public Sector Undertaking)** द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

वृद्धजन से संबंधित अन्य योजनाएँ:

- संपन्न परियोजना
- बुजुर्गों के लिये 'SACRED' पोर्टल
- एल्डर लाइन: बुजुर्गों के लिये टोल-फ्री नंबर
- **SAGE (सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन)**
- **माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण (MWPSC) अधिनियम, 2007**
- **वृद्ध व्यक्तियों के लिये एकीकृत कार्यक्रम (IPOP)**
- **राष्ट्रीय वयोश्री योजना (RVY)**
- **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS)**
- **प्रधानमंत्री वय वंदना योजना**
- **वयोश्रेष्ठ सम्मान**

स्रोत: पी.आई.बी.